# 132वाँ संविधान संशोधन विधेयक: परिसीमन, 850 सीटें और 2051 तक फ्रीज़

PCSMANTRA टीम | करेंट अफेयर्स | 28 नवंबर 2026

**क्यों चर्चा में?** 27 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान (132वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 और साथ में नए परिसीमन विधेयक को मंज़ूरी दी। विधेयक में हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की लोकसभा सीटों में 50% वृद्धि, लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 से बढ़ाकर 850 करने और राज्यों के बीच सीट-वितरण के मौजूदा अनुपात को 2051 तक स्थिर रखने का प्रस्ताव है। इससे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण (106वाँ संविधान संशोधन) लागू करने का रास्ता खुलता है; सरकार का लक्ष्य इसे 2029 के लोकसभा चुनाव से प्रभावी करना है। विधेयक संसद के विशेष सत्र (30 नवंबर से 3 दिसंबर) में आ रहा है।

## पृष्ठभूमि

अप्रैल 2026 में सरकार का पहला प्रयास विफल रहा था। संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में गिर गया: उपस्थित 528 सदस्यों में से 298 पक्ष में और 230 विरोध में रहे, जबकि दो-तिहाई के लिए 352 मत चाहिए थे। उस विधेयक में सीटें 2011 की जनगणना की जनसंख्या के अनुपात में बाँटने का प्रस्ताव था, जिसका दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों ने विरोध किया था, क्योंकि इससे उनका सापेक्ष प्रतिनिधित्व घटता। पराजय के बाद सरकार ने परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्रशासित प्रदेश विधेयक वापस ले लिए थे। अब सरकार ने आधार बदल दिया है। अंतर-राज्यीय अनुपात वही रहेगा जो अभी 1971 की जनसंख्या पर आधारित है, और उसे 2051 तक स्थिर रखा जाएगा, जबकि राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ नवीनतम प्रकाशित जनगणना (व्यवहार में 2011) के आधार पर तय होंगी। यह ढाँचा 2001 के 84वें संशोधन के फ़ॉर्मूले जैसा है, जिसमें सीट-आवंटन 1971 की जनगणना पर और सीमाओं का पुनर्निर्धारण 2001 की जनगणना पर आधारित था। 1976 के 42वें संशोधन ने पहली बार 1971 की जनगणना पर सीटें स्थिर की थीं, ताकि जनसंख्या-नियंत्रण में आगे रहने वाले राज्यों को नुकसान न हो। महिला आरक्षण से कड़ी भी समझना ज़रूरी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वाँ संशोधन, 2023) को 16 अप्रैल 2026 को अधिसूचित किया गया, परंतु वह जनगणना के बाद परिसीमन से जुड़ा है; नया विधेयक इसी कड़ी को तुरंत प्रभावी करने की व्यवस्था करता है।

## मुख्य बिंदु

- **अनुच्छेद 334A में परंतुक:** महिला आरक्षण को तुरंत प्रभाव देने के लिए पहले परिसीमन में प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या तथा विधानसभा की कुल सीटों में 50% वृद्धि होगी, और यह वृद्धि मौजूदा सीटों के "ऊपर" (over and above) होगी, यानी किसी राज्य की सीटें घटेंगी नहीं।
- **अधिकतम संख्या:** लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 से बढ़ाकर 850 (राज्यों से अधिकतम 815 और केंद्रशासित प्रदेशों से अधिकतम 35) और राज्य विधानसभाओं की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 650 करने का प्रस्ताव है।
- **अनुच्छेद 82 में बदलाव:** सीट-पुनःसमायोजन पर रोक अभी "2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आँकड़े प्रकाशित होने तक" है; विधेयक इसे "वर्ष 2051 तक" करता है। 1971 की जनगणना का स्पष्ट उल्लेख हटाया जा रहा है और राज्यों के बीच वितरण "अनुच्छेद 334A के अनुसार" तय होगा।
- **सीमाओं का आधार:** राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ "132वें संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की तिथि पर उपलब्ध नवीनतम प्रकाशित जनगणना" के आँकड़ों से तय होंगी, यानी व्यवहार में 2011 की जनगणना से।
- **प्रक्रिया:** संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है। चूँकि अनुच्छेद 81, 82 और 334A राज्यों से जुड़े विषय हैं, अनुच्छेद 368 के परंतुक के तहत आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन भी ज़रूरी होगा।

- **आगे की राह:** विधेयक पारित होते ही परिसीमन आयोग का गठन होगा और 2029 के लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण लागू करने का लक्ष्य है। संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक है: लोकसभा 30 नवंबर से चार दिन बैठेगी, राज्यसभा 2 दिसंबर से।
- **राजनीतिक समीकरण:** राकांपा (शरदचंद्र पवार) ने विधेयक के समर्थन की घोषणा कर दी है। DMK की दो प्रमुख माँगें (तमिलनाडु की लोकसभा में मौजूदा 7.18% हिस्सेदारी न घटे और राज्यों के बीच अनुपात अगले 25 वर्ष स्थिर रहे) मान ली गई हैं, इसलिए वह भी समर्थन की ओर है। कांग्रेस विरोध पर है और चाहती है कि लोकसभा की वर्तमान संख्या बरकरार रहे, वर्तमान राज्यवार वितरण 25 वर्ष और चले और महिला आरक्षण वर्तमान संख्या पर ही लागू हो; समाजवादी पार्टी ने विरोध में मतदान का फ़ैसला किया है और दोनों सदनों में व्हिप जारी किया है; वाम दल भी विरोध में हैं। INDIA गठबंधन की बैठक 28 नवंबर को संयुक्त रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई है।
- **विपक्ष की चिंता:** कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ बदलने से "राजनीतिक प्रेरित जेरीमैंडरिंग" (पक्षपातपूर्ण क्षेत्र-विभाजन) का ख़तरा है। पार्टी ने अपने सांसदों को तीन-पंक्ति व्हिप जारी किया है।

## महत्व और चुनौतियाँ

**महत्व:** यह विधेयक संघवाद की मूल चिंता, यानी राज्यों का सापेक्ष प्रतिनिधित्व, को 2051 तक स्थिर रखकर दक्षिणी राज्यों की आशंका कम करता है, और साथ ही महिला आरक्षण को 2029 से लागू करने का रास्ता खोलता है। 50% की एकसमान वृद्धि का अर्थ है कि किसी राज्य की सीटें घटेंगी नहीं, केवल सभी की संख्या बढ़ेगी; यही इसे राजनीतिक रूप से सबसे व्यवहार्य समाधान बनाता है। **चुनौतियाँ:** पहली चुनौती यह है कि सीमाएँ 2011 की जनगणना पर बनेंगी, जबकि 2026-27 की जनगणना चल रही है; इससे कई क्षेत्रों में जनसंख्या-असंतुलन बना रह सकता है। दूसरी, आधे राज्यों के अनुमोदन की अनिवार्यता राजनीतिक दबाव का केंद्र बनेगी। तीसरी, 2051 तक फ्रीज़ का अर्थ है कि अगले 25 वर्ष राज्यों के बीच वज़न नहीं बदलेगा, जिससे जनसंख्या-वृद्धि वाले राज्य कम प्रतिनिधित्व की शिकायत कर सकते हैं। चौथी, 850 सदस्यीय लोकसभा के कामकाज, समितियों और व्यय पर दबाव बढ़ेगा, और प्रति सांसद मतदाताओं की संख्या में राज्यों के बीच असमानता का प्रश्न बना रहेगा।

## परीक्षा के लिए मुख्य तथ्य

| बिंदु | तथ्य |
|---|---|
| कैबिनेट मंज़ूरी | 27 नवंबर 2026 (संविधान 132वाँ संशोधन विधेयक + नया परिसीमन विधेयक) |
| लोकसभा अधिकतम | 550 से 850 (राज्य 815 + केंद्रशासित प्रदेश 35) |
| विधानसभा अधिकतम | 500 से 650 |
| सीट-वृद्धि | हर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में 50%, मौजूदा सीटों के ऊपर |
| राज्यों के बीच अनुपात | 2051 तक स्थिर (अनुच्छेद 82 में संशोधन) |
| सीमाओं का आधार | नवीनतम प्रकाशित जनगणना (व्यवहार में 2011) |
| विशेष सत्र | 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2026 |
| अप्रैल का प्रयास | 131वाँ विधेयक 17 अप्रैल 2026 को गिरा (298 पक्ष, 230 विरोध; 352 चाहिए थे) |
| महिला आरक्षण | 33% (106वाँ संशोधन, 2023); लक्ष्य 2029 चुनाव से लागू करना |

## अभ्यास प्रश्न (प्रिलिम्स)

**प्रश्न: संविधान (132वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह अनुच्छेद 334A में परंतुक जोड़कर प्रत्येक राज्य की सीटों में 50% वृद्धि का प्रावधान करता है। 2. यह राज्यों के बीच सीट-वितरण पर रोक को 2051 तक बढ़ाता है। 3. इस विधेयक को पारित करने के लिए केवल संसद के दोनों सदनों का दो-तिहाई बहुमत पर्याप्त है।**

कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

### उत्तर और व्याख्या

**सही उत्तर: (a)**

कथन 1 सही है: अनुच्छेद 334A में परंतुक से हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की लोकसभा व विधानसभा सीटों में 50% वृद्धि मौजूदा सीटों के ऊपर होगी।

कथन 2 सही है: अनुच्छेद 82 में "2026 के बाद की पहली जनगणना" की जगह "वर्ष 2051 तक" किया जा रहा है।

कथन 3 ग़लत है: अनुच्छेद 81, 82 और 334A राज्यों से जुड़े हैं, इसलिए अनुच्छेद 368 के परंतुक के तहत आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन भी आवश्यक है।

## मेंस प्रश्न (GS-II, 15 अंक)

"परिसीमन पर 2051 तक की रोक राजनीतिक स्थिरता देती है, परंतु प्रतिनिधित्व की समानता का प्रश्न अनसुलझा छोड़ती है।" 132वें संशोधन विधेयक के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

**उत्तर की रूपरेखा:**

**भूमिका में:**

27 नवंबर 2026 को कैबिनेट की मंज़ूरी, 50% एकसमान वृद्धि और 2051 तक फ्रीज़ के प्रस्ताव का संक्षिप्त परिचय दें; अप्रैल 2026 में 131वें विधेयक की पराजय का संदर्भ जोड़ें।

**मुख्य भाग में:**

एक ओर दक्षिणी राज्यों की चिंता शांत करने वाला डिज़ाइन (अनुपात स्थिर, किसी की सीट नहीं घटती, DMK जैसी माँगें मानी गईं) और महिला आरक्षण लागू करने का मार्ग दिखाएँ; दूसरी ओर 2011 जनगणना पर सीमाएँ, 2051 तक अनुपात में कठोरता, प्रति सांसद मतदाता-असमानता और आधे राज्यों के अनुमोदन की चुनौती परखें।

**निष्कर्ष में:**

संघीय संतुलन और प्रतिनिधात्मक न्याय के बीच क्रमिक पुनरावलोकन (जैसे परिसीमन आयोग के समक्ष राज्यों की सुनवाई) का रास्ता सुझाएँ।

## अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

**प्रश्न 1: क्या अब सीटें 2011 की जनसंख्या के अनुपात में बाँटी जाएँगी?**

उत्तर: नहीं। राज्यों के बीच अनुपात 1971-आधारित मौजूदा व्यवस्था के अनुसार ही रहेगा और 2051 तक स्थिर रहेगा; 2011 की जनगणना का उपयोग केवल राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ तय करने में होगा।

**प्रश्न 2: महिला आरक्षण कब से लागू होगा?**

उत्तर: सरकार का लक्ष्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू करना है; विधेयक पारित होते ही परिसीमन आयोग का गठन होगा और पहले परिसीमन के साथ ही आरक्षण प्रभावी होगा।

## स्रोत

- The Hindu: Centre proposes freeze on Lok Sabha seat proportions for States until 2051 (27 नवंबर 2026)
- The Indian Express: 132वें संशोधन विधेयक का पूरा पाठ (27 नवंबर 2026)
- The Indian Express: विपक्षी दलों की स्थिति, NCP(SP) और DMK का रुख (27 नवंबर 2026)
- The Economic Times: विधेयक के प्रस्तावों का विश्लेषण (27 नवंबर 2026)
- Live Law: 131वें संशोधन विधेयक की पराजय (17 अप्रैल 2026)

---

यह लेख PCS Mantra की संपादकीय टीम ने उपर्युक्त स्रोतों के आधार पर अपने शब्दों में लिखा है। परीक्षा से पहले आधिकारिक अधिसूचनाएँ ज़रूर जाँच लें। कवर इमेज प्रतीकात्मक है। © pcsmantra.in